19

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
96/2003	3.8.2003	23-12-2025

1. सुबुद्धी पुत्र कजोड्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. सुरज्ञान पुत्र कजोड्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. हरिकिशोर पुत्र कजोड्या, खारवाल निवासी जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. सूक्या पुत्र कजोड्या, खारवाल नि0 जियापुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
4/1.विजय पुत्र सूक्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
4/2.मुकेश पुत्र सूक्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. गिर्राज पुत्र घीस्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
6. कल्ला पुत्र पून्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
7. वगता पुत्र पून्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
8. मु0 नारायणी बेवा पून्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सुवालाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1.राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
1/2.मु0 विमला बेवा बाबूलाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
1/3.सरोज पुत्री बाबूलाल पत्नि घनश्याम, महाजन निवासी गंगापुर सिटी हाल निवासी डाक्टरनी वाली गली, वा0नं0 15, भूडारा बाजार, करौली
2. महेश पुत्र घीस्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. देफू पुत्र पून्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
3/1.हंसराज पुत्र देफू, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लौहड्या पुत्र पून्या, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी

——प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4

5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार कम उप पंजीयन अधिकारी, गंगापुर सिटी
6. तारादेवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
7. महेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र स्व0 कैलाशचन्द, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
8. हुकमचन्द गर्ग उर्फ बंटी पुत्र स्व0 कैलाशचन्द, महाजन नि0 गंगापुर सिटी
9. अंकुश कुमार गर्ग पुत्र स्व0 कैलाशचन्द, महाजन निवासी गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा इस्तकरारहक खातेदारी, तनसीख, दुरुस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई दवामी

अधिकारी
टी (राज०)

सुबुद्धी वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा, दावा

(2)

उपस्थित :— श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी में आराजी ख0नं0 418 रकबा 30 एयर, ख0नं0 418/460 रकबा 1 एयर, ख0नं0 419 रकबा 22 एयर, ख0नं0 420 रकबा 26 एयर, ख0नं0 421 रकबा 2 एयर, ख0नं0 422 रकबा 3 एयर, ख0नं0 424 रकबा 2 एयर, ख0नं0 425 रकबा 1 एयर, ख0नं0 426 रकबा 5 एयर कुल किता 9 कुल रकबा 92 एयर स्थित है। इसका इन्द्राज खातेदारी सुक्या, सुबुद्धी, सुरज्ञान, हरीकिशोर पुत्रान कजोड्या खारवाल हिस्सा 1/2, सुवालाल पुत्र गेंदीलाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी हिस्सा 1/2 दर्ज है। इसमें वादीगण 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। सुवालाल का इन्तकाल हो चुका है उसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी नं0 1 है। उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 204 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 206 रकबा 3 विस्वा से कायम किए गए हैं। इससे पूर्व उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 387 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, ख0नं0 388 रकबा 3 विस्वा, ख0नं0 389 रकबा 3 विस्वा रहे हैं। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व हैसियत खातेदार टीनेन्ट वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का 50 साल से भी अधिक समय से ओपनली पीसफुल विदाउट डिस्टरबेन्स चला आ रहा है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी नं0 1 लगायत 4 का है व 1/2 हिस्सा जो प्रतिवादी नं0 1 के नाम गलत इन्द्राज है उसमें वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का कब्जा काश्त व हैसियत खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है। भूमि पर सं0 2008 से ही व इससे पूर्व से ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के बुजुर्गान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी संख्या 1 लगायत 4 व वादी नं0 6 व वादी नं0 8, 9 व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के बाबा व वादिया नं0 5 व वादिया नं0 7 व वादिया नं0 10 के दादी ससुर के कब्जे काश्त की भूमि रही है जो कि घूडया वल्द पन्ना है जिसके नाम खुदकाश्त दर्ज है। घूडया वल्द पन्ना का इन्तकाल हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि का इन्द्राज कृषक कब्जा काश्त वादीगण के पिता व वादिया नं0 5, 7, 10 के ससुर पून्या, कजोडया, [illegible] के नाम इन्द्राज कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यू में दर्ज [illegible] 2015 के खसरा गिरदावरी में उक्त इन्द्राज दर्ज है। इसके बाद में वादीगण के नाम इन्द्राज कब्जा काश्त दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

रहा है। भूमि मुतदाविया पर कभी भी प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नहीं रहा है न ही प्रतिवादी नं0 1 के पिता सुवालाल का कब्जा रहा है बल्कि उक्त भूमि पर बजमाने बुजुर्गान वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के बुजुर्गो का कब्जा रहा है। उक्त भूमि का इन्द्राज सं0 2003 लगायत 2022 की खतौनी बन्दोवस्त में सुवालाल वल्द गेंदीलाल, केदार वल्द पांचू महाजन के नाम रहा है। जिसमें केदार महाजन ने अपने हिस्से की भूमि वादी नं0 1 लगायत 4 के पिता व वादिया नं0 5 के स्व0 पति कजोडया को वय कर दी व भूमि रिकार्ड में कजोडया वल्द घूडया खारवाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज हो गई, शेष 1/2 हिस्सा सुवालाल वल्द गेंदीलाल महाजन के नाम दर्ज रहा जो गलत है क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हिस्सा 1/2 सुवालाल पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 19 व धारा 15 के अनुसार वादीगण को खातेदारी हक व अधिकार कानूनन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के आने से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। भूमि पर वादीगण व वादीगण के बुजुर्गान व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 व उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के पहले से ही उप कृषक दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 के पिता सुवालाल ने भूमि में अपना 1/2 हिस्सा का भी बेचान सं0 2011 मिती पौष सुदी 13 को कर दिया और प्रतिफल राशि वयनामा प्राप्त कर ली। यह भूमि वाकला वाले नाम से मशहूर है। इस प्रकार मुताविक कानून वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 भूमि मुतदाविया के टीनेन्ट हो चुके हैं और गलत इन्द्राज को अपने पक्ष में दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। वर्तमान में इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज अभी नहीं हुई है, उसके स्व0 पिता सुवालाल के नाम दर्ज है। भूमि मुतदाविया को प्रतिवादी नं0 1 के पिता सुवालाल सन् 1954 में ही वय कर चुके हैं व सं0 2008 से व इससे पहले से ही बदस्तूर लगातार कब्जा काश्त आज तक वादीगण के बुजुर्गान व प्रतिवादी 2 लगायत 4 के बुजुर्गान व वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में इसमें वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 ने बाजरे की फसल काश्त की है। गलत इन्द्राज कायम रहने से प्रतिवादी नं0 1 की नियत में गंदगी आ गई है वह भूमि मुतदाविया को रहन वय करने पर आमादा हो गया, उसने मुखालफन गांव के व्यक्तियों से भूमि मुतदाविया को रहन वय करने सम्बन्धी बात भी कर ली है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 को दिनांक 10.8.03 को धमकी दी कि वह भूमि मुतदाविया को रहन वय कर देगा, वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:59:06 IST
Reason: SelfAttested

ड अधिकारी
सिटी (राज०)
सत्यमेव जयते

को भूमि से लाभान्वित नहीं होने देगा व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेगा। इसलिए यह वाद दायरी की नौबत आई। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 व 5 इस अमर का डिक्री फरमाया जाकर घोषित फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 418 रकबा 30 एयर, ख0नं0 418/460 रकबा 1 एयर, ख0नं0 419 रकबा 22 एयर, ख0नं0 420 रकबा 26 एयर, ख0नं0 421 रकबा 2 एयर, ख0नं0 422 रकबा 3 एयर, ख0नं0 424 रकबा 2 एयर, ख0नं0 425 रकबा 1 एयर, ख0नं0 426 रकबा 5 एयर कुल किता 9 कुल रकबा 92 एयर में से हिस्सा 1/2 बराबर 46 एयर वाके ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी का काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी नं0 1 के नाम का लेखा निरस्त फरमाया जावे व कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यू से सुवालाल वल्द गेंदीलाल जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी का हिस्सा 1/2 निरस्त फरमाया जावे। इसी जगह वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के नाम इन्द्राज खातेदारी रिकार्ड में दर्ज फरमाई जावे। प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 5 को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण व प्रतिवादी 2 लगायत 4 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं देवें न किसी अन्य से दिलावें। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 को भूमि मुतदाविया का शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करने देवें, किसी प्रकार की माने मदालखत न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। न ही गलत इन्द्राज की आड में भूमि मुतदाविया को रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि दावे में वादीगण द्वारा सुआलाल के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण संख्या 1 ता 5 , प्रतिवादी संख्या 1 व सुवालाल के अन्य वारिसान विवादित भूमि के सहखातेदार तथा सभी विवादित भूमि को सम्मलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। सुवालाल के 1/2 हिस्से पर कभी भी महेश, देफू, लोहडया का कब्जा नहीं रहा है। दावा गलत आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने कभी इनके हक में कोई विक्रय पत्र तहरीर नहीं किया । विवादित भूमि पर वादीगण साजिश कर प्रतिवादी नं0 1 व उसके भाईयों के हिस्से 1/2 की भूमि को हडपना चाहते हैं। इसलिए यह झूंठा दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)
सत्यमेव जयते

प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत हुआ। जबाब दावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि सुवालाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 जबाबदारान भी हैं। मिन जबाबदारान की भूमि पर वादीगण या प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा नहीं है। राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 सुवालाल पुत्र गेंदीलाल सही दर्ज है। इस पर कब्जा मिन जबाबदारान का चला आ रहा है। सुवालाल ने अपना 1/2 हिस्सा कभी विक्रय नहीं किया और ना ही भूमि पर कब्जा वादीगण का या किसी अन्य का कराया। यदि कोई वयनामा या इकरारनामा है तो वह फर्जी है तथा अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्प्ड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। भूमि से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कोई सम्बन्ध नहीं है। मिन जबाबदारान नियमानुसार नामान्तरकरण खुलवाने के अधिकारी हैं एवं भूमि पर काबिज हैं। मिन जबाबदारान को अपनी भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दावा गलत पेश किया है। वादीगण एक तरफ तो भूमि स्वयं द्वारा खरीदने के आधार पर स्वामित्व की बात कहते हैं तथा दूसरी ओर एडवर्स पजेशन के आधार पर भूमि स्वयं की खातेदारी की होना बताते हैं। इस प्रकार वादीगण के कथन परस्पर विरोधी व गैरकानूनी है। मिन जबाबदार प्रतिवादी संख्या 6 से 9 एवं मिन जबाबदार के पुरखे वादग्रस्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 व इनके पुरखों से समय समय पर आध बटाई पर मजदूरी पर काश्त कराते रहे हैं। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः—

1. आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि में सुवालाल पुत्र गेंदीलाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी का 1/2 हिस्सा दर्ज है, सुवालाल का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी नं0 1 उसका वारिस हैं।
—वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से को सुवालाल ने मिती पौष सुदी 13 सं0 2011 को वादीगण के पूर्वजों को बेच दिया एवं तभी से इस भूमि पर सुवालाल का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के पूर्वजों का रहा है एवं उनके बाद कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का पचासो वर्षो पूर्व से चला आ रहा है।
—वादीगण

3. आया बेचान के आधार प[illegible] एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि में सु[illegible] महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
टी (राज०)

सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम कराने एवं प्रतिवादी नं0 1 व 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

—वादीगण

4. आया वादी नं0 1 ता 5, प्रतिवादी नं0 1 व सुवालाल के अन्य वारिस वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं जो भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं।

—प्रतिवादी नं0 1

5. आया वादीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है, वादीगण प्रतिवादी नं0 1 की भूमि हडपना चाहते हैं इसलिए वादीगण का दावा चलने योगय नहीं है।

—प्रतिवादी नं0 1

6. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 का ही नहीं बल्कि प्रतिवादी नं0 6 लगायत 9 का भी हिस्सा है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

—प्रतिवादी नं0 6 ता 9

7. आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

—प्रतिवादी नं0 6 ता 9

8. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श—1, असल लिखावट मिती पौष बुदी 13 सं0 2011 प्रदर्श—2, नकल मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबन्ध विभाग सं0 2039 प्रदर्श—3, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2003 प्रदर्श—4, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग सं0 2019 प्रदर्श—5, नकल खतौनी सं0 2016 भूमि एकीकरण प्रदर्श—6, नकल खतौनी सं0 2039 भू—प्रबन्ध विभाग प्रदर्श—7, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 लगायत 2022 प्रदर्श—8, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2017 से 2019 प्रदर्श—9, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2014 से 2017 प्रदर्श—10, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2008 से 2011 प्रदर्श—11, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2029 से 2032 प्रदर्श—12, नकल खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण विभाग सं0 2016 प्रदर्श—13 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी सुबुद्धी खारवाल पी0डब्लू0 1 कराए हैं। इनके अतिरिक्त शपथ पत्र वगता पुत्र पून्या खारवाल नि0 जियापुर, शपथ पत्र गिर्राज पुत्र घीस्या खारवाल निवासी जियापुर, शपथ पत्र रामसहाय पुत्र छाजू खारवाल निवासी जियापुर, शपथ पत्र मिश्रा पुत्र रामहेत, खारवाल निवासी जियापुर, शपथ पत्र [illegible] पुत्र छाजू, खारवाल निवासी जियापुर भी प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
टी (राज०)

उप जिला मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराई गई है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/2 सुवालाल महाजन की खातेदारी में दर्ज भूमि रही है जिसे सुवालाल ने मिती पौष सुदी 13 सं0 2011 में घूडया, पून्या, कजोड पुत्रान धन्ना को विक्रय कर दी एवं भूमि का कब्जा संभला दिया तभी से वादग्रस्त भूमि पर घूडया, पून्या, कजोड का व उसके बाद इनके वारिसान का भूमि पर कब्जा काश्त रहा है जो वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से बखूबी साबित है। इस दस्तावेज के आधार पर एवं वादग्रसत भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी हैं। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2010 (2) आर. आर.टी. 819 सुप्रीम कोर्ट पेज 819 पेश किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादीगण के पूर्वज सुवालाल द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की गई। भूमि पर सुवालाल के वारिसों के तौर पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। तथाकथित लिखावट अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड है जिसका कानून की नजर में कोई अस्तित्व नहीं है। एडवर्स पजेशन का कथन भी वादीगण का मान्य नहीं है क्योंकि भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का ही है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। तनकीवाइज निर्णय निम्नानुसार है:–

<u>तनकी नं0 1:–</u> आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि में सुवालाल पुत्र गेंदीलाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी का 1/2 हिस्सा दर्ज है, सुवालाल का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी नं0 1 उसका वारिस हैं। ––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–1, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–7, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2003 से 2006 प्रदर्श–8, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2016 प्रदर्श–13 प्रस्तुत की है। इन जमाबन्दियों के अवलोकन से विदित है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

ड अधिकारी
सिटी (राज०)
उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादग्रस्त भूमि में सुवालाल पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी में दर्ज है। पृतक सुवालाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का होना भी प्रमाणित है। अतः अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आया वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से को सुवालाल ने मिती पौष सुदी 13 सं0 2011 को वादीगण के पूर्वजों को बेच दिया एवं तभी से इस भूमि पर सुवालाल का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के पूर्वजों का रहा है एवं उनके बाद कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का पचासो वर्षो पूर्व से चला आ रहा है। ——वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादीगण ने असल निवस्त मिती पौष सुदी 13 सं0 2011 प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है। इस निवस्त के अनुसार सुवालाल पुत्र गेंदीलाल महाजन ने उसकी जमीन का खेत का बेचान किया है। प्रतिवादीगण ने इस बेचान को अस्वीकार किया है। इस निवस्त प्रदर्श–2 में खेत का खसरा नम्बर व रकबा अंकित नहीं है, इसके अलावा यह निवस्त अनरजिस्टर्ड भी है। इसलिए इसे विधि अनुसार प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। जब यह दस्तावेज विधि अनुसार प्रमाणिक ही नहीं है तो इसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा विधि अनुसार नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया बेचान के आधार पर एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि में सुवालाल पुत्र गेंदीलाल महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम कराने एवं प्रतिवादी नं0 1 व 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं0 2 में किए गए विवेचन के अनुसार वादीगण जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी चाह रहे हैं वह दस्तावेज ही विधि अनुसार मान्य नहीं है। जहां तक एडवर्स पजेशन का सम्बन्ध है, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निर्विवाद कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने पक्ष में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणां करवा कर प्रतिवादीगण को पावंद कराने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

ड अधिकारी
सिटी (राज०)

तनकी नं0 4 :– आया वादी नं0 1 ता 5, प्रतिवादी नं0 1 व सुवालाल के अन्य वारिस वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं जो भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं।

––प्रतिवादी नं0 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 मृतक सुवालाल के विधिक वारिसान हैं। इस तथ्य को वादीगण ने भी अस्वीकार नहीं किया है इसलिए मृतक सुवालाल के नाम वर्तमान में दर्ज भूमि के सहखातेदार उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण स्वतः ही हो जाते हैं एवं ऐसी स्थिति में भूमि पर कब्जा का प्रिजम्पशन भी इनके पक्ष में ही जाता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 :– आया वादीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है, वादीगण प्रतिवादी नं0 1 की भूमि हडपना चाहते हैं इसलिए वादीगण का दावा चलने योगय नहीं है।

––प्रतिवादी नं0 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं0 2 में किए गए विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद जिस दस्तावेज प्रदर्श–2 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है उस दस्तावेज की विधि अनुसार कोई प्रमाणिकता नहीं है इसलिए वादीगण का वाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत हुआ है यह नहीं माना जा सकता है तथा वादीगण का यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 का ही नहीं बल्कि प्रतिवादी नं0 6 लगायत 9 का भी हिस्सा है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

––प्रतिवादी नं0 6 ता 9

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 मृतक सुवालाल के विधिक वारिस हैं इस तथ्य से प्रतिवादी नं0 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने मना नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के साथ साथ मृतक सुवालाल की वादग्रस्त भूमि में बतौर खातेदार अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7 :– आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं मौखिक [illegible] के आधार पर भी वे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

––प्रतिवादी नं0 6 ता 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

...ड अधिकारी
...सिटी (राज0)

सुबुद्धी वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा, दावा

(18)

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी की पृथक से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तनकी नं0 2 व 3 में इसकी विवेचना की जा चुकी है तदनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 8 :– अनुतोष ।

तनकीवाइज किए गए विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.25 को सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:06 IST
Reason: SelfAttested